

पत्रांक-10/न-07/2017 - 12५।
मानव संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक-५-१२-२०१७

प्रेषक,

पी०एन० मिश्रा,
विशेष निदेशक (मा० शि०)

सेवा मे,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, ०२ कम्पुनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-११००९२

विषय :- विद्यालय के नाम मे संशोधन करते हुए विद्यालय का नाम होली मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल करने के सम्बन्ध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे निर्देशानुसार कहना है कि अभिमृचना सं०-१०९२ दि०-२०.११.२०११ द्वारा जगत मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कैन्ट रोड, दानापुर, पटना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। विद्यालय प्रबंधन द्वारा नाम संशोधन हेतु सोसायटी के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के साथ विद्यालय के नाम संशोधन के निमित्त शपथ-पत्र के साथ आवेदन पत्र समर्पित किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक मे विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जगत मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के नाम संशोधित करते हुए होली मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कैन्ट रोड, खगौल, पटना-८०११०५ करने का निर्णय लिया गया है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष निदेशक (मा० शि०)

दिनांक दिसम्बर '२०१७

दिनांक ५.१२.२०१७ दिसम्बर '२०१७

विशेष निदेशक (मा० शि०)

जापांक- १२५।

प्रतिलिपि-प्राचार्य/सचिव, होली मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कैन्ट रोड, खगौल, कैन्ट रोड, दानापुर, पटना

दिनांक ५.१२.२०१७ दिसम्बर '२०१७

विशेष निदेशक (मा० शि०)

पत्रांक 10 / न 4-98/2011..... 1092
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक.

दशरथ राम
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में

आध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक २०/११/११

विषय : जगत भिशन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, कैन्ट रोड, खगौल, दानापुर, पटना को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-04.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा जगत मिशन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, कैन्ट रोड, खगौल, दानापुर, पटना को सी० बी० एस० ई०. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

Manager

Principal यह विद्यालय जगत नारायण सामाजिक कल्याण समिति के
Affiliated to C.B.S.E., मुख्य संस्था व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक संस्कृत व्यास - 801105
Affiliated to C.B.S.E. Senior Secondary School
Affiliated to C.B.S.E. Deemed up to 10+2
Cantt Road, Khagaul, Dhanapur
Patna - 801105 है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
 3. विद्यालय को 2 एकड़ 01 डि0 30 वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
 4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 21 शिक्षक हैं। सी0 वी0 एस0 ई0. नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
 5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।

प्र० ४७३ यम, अल्परास्त्रक, विकलाय बालकाएं पर्याय सामाजिक अवधि पर्याय का अवधि 2,00,000/- रुपया प्रतिवर्ष कम होगा को रखा गया है।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किरी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का ८० प्रतिशत राशि याप्त लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी रु० ८०० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं पंक्तसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र याप्त से लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-४६, दिनांक १८.०१.२००८ द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियन्त्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

6. *Principal*
Holy Mission Senior Secondary School
Affiliated to C.B.S.E.
स्कूल नं. १०५, कैन्ट रोड, खगौल, दानापुर, पटना को सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का जॉच प्रतिवेदन संलग्न।

[Signature] Manager
Holy Mission Senior Secondary School
Affiliated to C.B.S.E. Delhi up to 10+2
स्कूल नं. १०५, कैन्ट रोड, खगौल, दानापुर
पटना - ८०११०५ दिनांक २०/११/११

विश्वासभाजन ८०/-
(दशरथ राम)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को उनके पत्रांक १८७६ दिनांक २२.११.२०११ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को उनके पत्रांक १८७६ दिनांक २२.११.२०११ के प्रसंग
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ८०/-

प्रतिलिपि : प्राचार्य, जगत मिशन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, कैन्ट रोड, खगौल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२०.११.११